होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार सादुलशहर से रिपोर्ट तलब की गयी, रिपोर्ट प्राप्त होने पर वास्ते बहस मुकर्रर की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एव वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य रास्ता की आराजी के ऐवज में आराजी को छोड़ा हुआ है एव अप्रार्थीगण को उसी अनुसार रास्ता मे प्रयुक्त होने वाली आराजी के बदले आराजी दी जाने। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी में आने जाने के लिये मु.न. 22 के कि.न. 20 ,21 में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर रास्ता चाहा गया है एव प्रार्थीगण के कथनानूसार प्रार्थीगण उक्त रास्ता की ऐवज में छोडी गयी आराजी को अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने के लिये सहमत है, एवं बलौर सिंह, गुरचरण सिंह, बलजिन्द्र सिह, बलविन्द्र सिंह पुत्र कौर सिंह ने शपथ पत्र पेश कर अपने हक हिस्सा की आराजी रास्ता की ऐवज मे दर्ज किये जाने हेतू सममति प्रदान की है एव मौका रिपोर्ट के अनूसार भी मौका पर रास्ता चल रहा है , प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के प्रावधानो को पूर्ण करता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. मुताबिक रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 1 बी एन डब्ल्यू प.न. 40/110 मु.न 22 कि.न. 20, 21 प्रत्येक किला के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर पत्थर लाईन पर प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। एवं रास्ता में प्रयुक्त होने वाली आराजी के ऐवज में चक 1 बी एन डब्लयू खाता संख्या 224/88 प.न. 39/110 मु.न. 21 कि.न. 23 में 0.025 है. नहरी आराजी हरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से दर्ज की जावे एव इस हद तक उक्त खाता से कौर सिंह पुत्र भंगा सिंह के हिस्सा में से 0.025 है. कम की जावे। एवं इसी चक के खाता संख्या 19/19 प.न. 40/110 मु.न. 22 कि.न. 17 में 0.025 है. आराजी बलौर सिंह पुत्र भंगा सिंह के नाम से दर्ज की जावे एव इस हद तक उक्त खाता से 0.013 है. आराजी गुरचरण सिंह पुत्र बलदेव सिंह के हिस्सा से कम की जावे एवं 0.012 है. आराजी बलजिन्द्र सिंह पुत्र कौर सिंह के हिस्सा से कम की जावे। एवं इसी चक के खाता संख्या 52/52 प.न. 39/110 मु.न. 21 कि.न. 18 में 0.025 है. आराजी कौर सिंह पुत्र भंगा सिंह के नाम से दर्ज की जावे एव इस हद तक उक्त खाता से 0.025 है. आराजी बलौर सिंह पुत्र भाग सिंह के हिस्सा से कम की जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.1.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/1/21

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner